रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2019/अग्रहायण 4, 1941
No. 420] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2019/AGRAHAYANA 4, 1941

वित्त मंत्रालय

(भारतीय बीमांकक संस्थान)

अधिसूचना

मुंबई, 22 नवम्बर, 2019

फा.सं. एम-18013/01/2017-बीमा. 1(अ).—कतिपय नियमों का प्ररूप, अर्थात्, भारतीय बीमांकक संस्थान (परिषद की अधिवेशनों में कारबार संव्यवहार) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना एम-18013/01/2017-बीमा.1 तारीख 27 मई, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था और उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां, 1 जून, 2019 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त नियमों के बारे में, जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अत: अब, भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बीमाकंक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बीमांकक संस्थान (परिषद की अधिवेशनों में कारबार संव्यवहार) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बीमांकक संस्थान (परिषद की अधिवेशनों में कारबार संव्यवहार) (संशोधन) विनियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय बीमांकक संस्थान (परिषद की अधिवेशनों में कारबार संव्यवहार) विनियम, 2011 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनिमय (i) में खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा,अर्थात् :—

"(ड.) "विडियो कान्फ्रैसिंग" से परिषद के सदस्यों जो किसी मध्यवर्ती के बिना एक दूसरे के साथ संसूचना के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते और बैठक में प्रभावी रूप से भाग नहीं ले सकते, को समर्थ बनाने के लिए श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक संसूचना सुविधा अभिप्रेत है;"

3. उक्त विनियम के विनियम 5 में उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) अधिवेशन के समय और स्थान की सूचना परिषद के प्रत्येक सदस्य के रजिस्ट्रीकृत पते पर या डाक द्वारा या इलैक्ट्रानिक रूप से, ऐसे अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पहले भेजी जाएगी और ऐसी सूचना में अधिवेशन में संव्यवहार किए जाने वाले कारबार का विवरण और विडियो कान्फ्रैसिंग सुविधा उपलब्ध होने के संबंध में ब्यौरे, अंतर्विष्ट होंगे"

4. उक्त विनियम के विनियम 7 में उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) परिषद के कुल सदस्यों के ¼ सदस्य परिषद के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति का गठन करेंगे और विडियो कान्फ्रैसिंग के माध्यम से भाग लेने की गणना कोरम के प्रयोजन के लिए की जाएगी।";

5. उक्त् विनियम में विनियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"12. अधिवेशन में परिषद के सदस्यों का भाग लेना – परिषद की अधिवेशन में सदस्य या तो व्यक्तिगत रूप से या विडियो कान्फ्रैसिंग जो सदस्यों के भाग लेने को अभिलिखित करने और मान्यता देने में और ऐसे अधिवेशनों की प्रक्रियाओं को तारीख और समय के साथ अभिलिखित करने और भंडारण करने में समर्थ हैं, के माध्यम से भाग ले सकेंगे;

परंतु परिषद ऐसे मामले विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिन पर अधिवेशन में विडियो कान्फ्रैसिंग के माध्यम से चर्चा नहीं की जाएगी ।

13. इलैक्ट्रानिक रीति से भाग लेने के लिए सभापति, अध्यक्ष और सचिव का उत्तरदायित्व -- सभापति, अध्यक्ष और सचिव का निम्नलिखित उत्त्रदायित्व होगा, अर्थात्

(क) विडियो कान्फ्रैसिंग माध्यम से बैठक की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना और सुरक्षा प्रदान करना,

(ख) उचित विडियो कान्फ्रैसिंग उपस्कर और सुविधा को सुनिश्चित करना,

(ग) यह सुनिश्चित करना कि संबद्ध परिषद सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति इलैक्ट्रानिक रीति से बैठक में उपस्थित नहीं हो रहा है,

(घ) यदि विडियो कान्फ्रैसिंग के माध्यम से भाग लेने वाले व्यक्ति के कथन में विघ्न पड़ता है या गड़बड़ होती है तो बैठक् का सभापति या सचिव दोहराने या पुनरावृत्ति के लिए अनुरोध करेगा और यदि आवश्यकता हो तो सभापति या सचिव वह दोहराएंगे जो उन्होंने भाग लेने वाले व्यक्ति जो पुष्टि या सुधार के लिए कह रहा था, सुना था।"।

दिनेश चंद्र खनसीली, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./306/19]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में तारीख 17 मार्च, 2011 को अधिसूचित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA)

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd November, 2019

F. No. M-18013/01/2017-Ins.1 (E).—Whereas, the draft of certain regulations, namely, the Institute of Actuaries of India (Transaction of Business at Meetings of Council) (Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, vide notification number M-18013/01/2017-Ins.I dated the 27th May, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette were made available to the public on 1st June, 2019;

And, whereas, no objection and suggestions have been received from the public;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 56 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Council of the Institute of Actuaries of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Institute of Actuaries of India (Transaction of Business at Meetings of the Council) Regulations, 2011, namely:—

1. **Short title and commencement .—** (1) These regulations may be called the Institute of Actuaries of India (Transaction of Business at Meetings of Council) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Institute of Actuaries of India (Transaction of Business at Meetings of Council) Regulations, 2011 (hereinafter referred to as the said regulation), in regulation 2, in sub-regulation (1) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(e) "Video Conferencing" means audio-visual electronic communication facility to enable members of the Council who could not attend in person to communicate concurrently with each other without any intermediary and to participate effectively in the meeting.".

3. In the said regulation, in regulation 5, for sub regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) A notice of the time and place of meeting shall be sent to the registered address of every member of the Council, either by post or electronically, not less than seven days before the date of such meeting and such notice shall contain a statement of the business to be transacted at the meeting and details regarding availability of facility of video conferencing.".

4. In the said regulation, in regulation 7, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) One-fourth of the total members of the Council shall constitute the quorum for a meeting of the Council and participation through video Conferencing shall be counted for the purpose of Quorum.".

5. In the said regulation, after regulation 11, the following regulations shall be inserted, namely:-

" 12. Participation of Council members in meeting . — The participation of members in the Council meeting may be either in person or through video conferencing, which are capable of recording and recognising the participation of the members and of recording and storing the proceedings of such meetings along with date and time:

Provided that the Council may, specify such matters which shall not be dealt with in a meeting through video conferencing.

13. Responsibility of President, Chairman and Secretary for participation through electronic mode .— The President, Chairman and Secretary shall have the following responsibilities, namely:-

(a) to ensure and safeguard, the integrity of the meeting via videoconferencing;

(b) to ensure proper videoconferencing equipments or facilities;

(c) to ensure that no one other than the concerned Council member is attending the meeting through electronic mode; and

(d) where a statement of a participant in the meeting via videoconferencing is interrupted or garbled, the chairperson or Secretary of the meeting shall request for a repeat or reiteration, and if need be, the Chairman or Secretary shall repeat what he heard the participant was saying for confirmation or correction.".

DINESH CHANDRA KHANSILI, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./306/19]

Note : The Principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, on dated the 17th March, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.25 18:44:58 +05'30'